न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्र.सं. 121/2010
जीसीएमएस : 2010/69

1. कृष्णा बाई पत्नी श्री गज्जन सिंहं जाति रायसिख निवासी 16पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर राज.।
2. कुलदीप कौर पुत्री श्री गज्जन सिंह जाति रायसिख निवासी 16पीटीडी वी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर राज.।
3. बलजीतकौर पुत्री श्री गज्जन सिंह जाति रायसिख निवासी 16पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर राज.।
4. सिकन्द्र सिहं पुत्र श्री गज्जन सिंह जाति रायसिख निवासी 16पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर राज.।
5. वीरपाल कौर पुत्री श्री गज्जन सिंह जाति रायसिख निवासी 16पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर राज.।
6. सुखविन्द्र कौर पुत्री श्री गज्जन सिंह जाति रायसिख निवासी 16पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर राज.।
7. बलजीतसिहं पुत्र श्री गज्जन सिंह जाति रायसिख निवासी 16पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर राज.।

—:वादीगण

बनाम

1. वजीर सिहं पुत्र करनैल सिहं जाति रायसिख निवासी 16 पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर राज.।
2. पहलवान सिहं पुत्र करनैल सिहं जाति रायसिख निवासी 16 पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर राज.।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

—:प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88– राज0 काश्त0 अधि0</u>

उपस्थितअधिवक्तागण

1. **श्री सुभाष चन्द बिश्नोई अधिवक्ता, वादीगण।**
2. **श्री बलदेव सिंह अधिवक्ता, प्रतिवादीगण**
3. **श्री रणवीर सिंह बिश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादीगण**

—: **निर्णय** :— दिनांक : 13.05.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से चक 16 पी.टी. डी.बी.तहसील रायसिंहनगर के मुश्तरका खाता में पत्थर नं. 383/344 का मु.नं. 25 की कुल 6.199 है. विरास्तन भूमि मय खाला है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने निम्नलिखित प्रकार से घरू बंटवारा कर रखा है कि :—

(क) पहलवान सिहं पुत्र कनैल सिहं को पं..न. 283/344 मु.न. 25 के कि.न. 1–2–3–4–7–8–9–10 सालम–'सालम, 11में 0.042है. भूमि पश्चिम पास कुल 2.066 है. भूमि पर कब्जा काश्त है।

(ख) कृष्णाबाई पत्नि गज्जन सिहं व कुलदीप कौर, बलजीतकौर, सिकन्दर सिंह, वीरपालकौर, सुखविन्द्र कोर, बलजीतसिहं, सन्तान गज्जन सिहं के पास मु.न. 25 प.न. 283/344 के कि.न. 5–6–14–15–[illegible] कि.न. 11 में 0.043 है. भूमि पूर्वी पासा में कुल 2.067 है. भूमि कब्जा का[illegible]

(ग) वजीर सिहं पुत्र करनैल सिहं [illegible] /344 के कि.न. 11/ 0.168 है., जो किला नं. 11 के बीच [illegible] कि.न. 18–19–[illegible] सालम–सालम ,तथा 21 में .227है. 22 में. .228है, 23/0.228 है इस प्रकार कुल 2.066 है0 भूमि कब्जा काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.02 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

है। प्रतिवादीगण से उक्त भूमि का कानूनी रूप से बंटवारा करने के लिए दिनांक 10.8.2009 को पंचायत की तो प्रतिवादी सं. 1 –2 नाराज हो गये उक्तानुसार बंटवारा करने से मना कर दिया तथा वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज होने की धमकी देने लगे। वादीगण ने अपने हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि को काफी खाद आदि डालकर उपजाऊ बनाया हुआ है। अब प्रतिवादीगण के मन में बेजा लालच आ गया है। उक्तानुसार बंटवारा नहीं करने के कारण यह वाद पेश किया गया यही दावा कने का वाद कारण है। अतः वादीगण का वाद–पत्र बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण के वाद –पत्र की मद सं. 2 के अनुसार डिक्री किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 3 के नाम से अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1–2 की तरफ से श्री बलदेव सिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध दिनांक 8–11–2010 हाजिर नहीं आने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 ने जबावदावा दिनांक 21.2.2011को प्रस्तुत किया । अपने जबाव दावा में वादीगण के वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को विरोध प्रकट करते हुये निवेदन किया कि वादीगण का वाद–पत्र भारी कोस्ट पर खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी सं. 3 जबाव स्टेट में कोई विरोध प्रकट नहीं किया। प्रार्थी पहलवान सिहं (प्रतिवादी) ने प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 7 व 151सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके विरूद्ध की गई एक तरफा कार्यवाही को अपास्त की जाकर मुझे जबावदेही का मौका दिया जावे। नकील वकील अप्रार्थी को दिलवाई गई। जो स्वीकार की गई। प्रतिवादी सं. 2 ने दिनांक 22.03.2011 को जबाव दावा प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वादन–पत्र का विरोध प्रकट करते हुये अतिरिक्त आपत्तिया में अंकित किया कि विवादित कृषि भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 ने कृषि ऋण उठा रखा है। इस ऋण की अदायगी विवादित कृषि भूमि की उपज से ही होनी है। उतरदाता / प्रतिवादी ने अपनी हिस्सा एवं उपरोक्त भूमि को सुधारने खाद डालने में लाखों रूपया खर्चा किया है, इस लिए प्रतिवादी अपने कब्जा अनुसार किले विभाजन / खाता विभाजन कराने को तैयार है। विवादित भूमि के .253 है. रकबा में खाला है, जिसका समानुपात में विभाजन किया जाना भी आवश्यक है। वादीगण लालचवंश प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 द्वारा सुधार की गयी भूमि पर कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादी सं. 2 भूमि की किस्म अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं मांडी में से माड़ी भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण ने वाद–पवत्र पंजीबद्व पता एवं विधि अनुसार डाक पता प्रस्तुत नहीं होने के कारण वादवादी काबिल खारिजी है। वाद वादी गलत तथ्यों पर प्रस्तुत होने के कारण खारिज फरमाया जावे। खर्चा जबावदेही दिलाया जावे। प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गई कि :–

1. आया कि वादीगण चक 16पीटीडी बी के मु.न. 25 प.न. 283/344 में 6.199 में से कि.न. 5–6–12–13–14–15–16–17सालम ,सालम व कि.न. 11/0.043 है. पूर्वी पासा कुल 2.067 है. कब्जा काश्त का बंटवारा करवाने का अधिकारी हैं

जिम्मेवादी

2.आया कि प्रतिवादी सं. 2 उक्त विवादित भूमि के कि.न. 1–2–3–4–7–8–9–10 सालम–सालम , 11 में 0.42 है. भूमि पश्चिम पासा कुल 2.066 है. कब्जा अनुसार विभाजन के अधिकारी है।

जिम्मेवादी

3.आया कि प्रतिवादी सं. 1 उक्त विवादित भूमि में कि.न. 11के .168है. 18–19–20 सालम–2 कि.न. 21/0.227, 22/0.228, 23/0.228, 24–25 में .228 है. प्रत्येक कुल 2.066 है. भूमि कब्जा काश्त के अनुसार बंटवारा करने के अधिकारी है।

जिम्मेवादी

4.आया कि उक्त विवादित भूमि में वादीगण 1/3 [illegible] 66 है. भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है।

जिम्मेप्रतिवादी

5. आया कि भूमि करनेल सिहं पुत्र श्री इन्द्र सिंह को आवंटित हुई थी। वादी व प्रतिवादी 2 का कोई हिस्सा नहीं बनता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.02 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

जिम्मेप्रतिवादी

6.आया कि मेरा नाम मेरे पिता ने दबाव से करनेल सिंह से बहलकर वजीर सिंह करवा दिया था।

जिम्मेप्रतिवादी–1

7.आया कि वादीगण के कब्जा काश्त में 1.978 है. प्रतिवादी सं. 1 के कब्जा काश्त में 1.996है. व प्रतिवादी सं. 2 के कब्जा काश्त में 2.225 है.भूमि है।1–2–3–4–6–15–16–25 में .025 है. खाला के कारण प्रतिवादी सं. 2 को अधिक भूमि दी गई है।

जिम्मेप्रतिवादी –1

8. **अन्य अनुतोष ।**

वादीगण ने अपने तहरीर साक्ष्य में कृष्णाबाई पत्नी गगन सिंह का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। वादीगण के अधिवक्ता ने अवगत करवाया कि प्रतिवादी सं. 2 ता 7 वर्तमान में बालिग हो गये है । संशोधित वाद–पत्र पेश करना चाहता है। वकील प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति न होने पर वादीगण के द्वारा संशोधित वाद–पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण वादी के साक्ष्य हेतु नियत थी। पक्षकारान के अधिवक्तागण विवादित भूमि का विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमति दी। पक्षकारान के अधिवक्तागण की सहमति पर सम्बधित तहसीलदार रायसिंहनगर से वाद–पत्र में अंकित विवादित भूमि का भूमि विभाजन प्रस्ताव मंगाया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./2025/1916 दिनांक 23.04.2025 के द्वारा भूमि विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा सहित प्राप्त हुआ है। जिस पर पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना गया। जिस पर पक्षकारान के अधिवक्तागण ने सहमति दी है। ऐसे में वादीगण का वाद–पत्र तहसीलदार रायसिंहनगनर के द्वारा प्राप्त भूमि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.04.2025 के अनुसार वादीगण का वाद–पत्र डिक्री किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर वाद पत्र वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित है।

–:आदेशः–

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आश्य की जारी की जाती है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहंनगर के द्वारा दिनांक 23.04.2025 के द्वारा प्राप्त भूमि विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण का वाद–पत्र निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है किः–

<u>**वादीगण**</u> कृष्णाबाई पत्नि गज्जन सिंह 1.166है., वीरपालकौर 0.295है. सुखविन्द्र कौर 0.295है. सिकन्दर सिंह 0.282है. पि. गज्जन सिंह कोम रायसिख सा. देह खातेदार को चक 16 पीटीडी बी के प.न. 283/344 मु.न. 25 कि.न. 5/1/0.202, 5/2/0.051, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 11/.249, 12/.250, 13/.249, 14/.231, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.054, 16/2/0.006, 17/0.059, 18/0.060, 19/0.060, 20/0.060 कुल 2.037 है. कमाण्ड मय खाला।

प्रतिवादी वजीर सिंह पुत्र करनेल सिंह के हिस्सा में :– चक 16 पीटीडी बी के प.न. 283/344 मु.न. 25 के कि.न. 16/1 के .117, 16/2 के .019, 21/2 के 0.115, 25/2 के 0.145है. 25/3 के .026 कुल 0.422 है. कमाण्ड मय खाला।

प्रतिवादी पहलवान सिंह पुत्र करनेल सिंह के हिस्सा में :– चक 16 पीटीडी बी के प.न. 283/344 मु.न. 25 के 1/1 मे .227, 1/2 के .026, 2/1 में 0.228, 2/2 के.025, 3/1में 0.228, 3/2 में 0.025, 4/1 के .228, 4/2 के 0.025, 7 ता 10/1.012, 11/.004, 12/.003, 13/.004, 14/.003 कुल 2.038 है. कमाण्ड भूमि।

मालोबाई पत्नि रूप सिंह कोम रायसिख सा. 1 बीडब्ल्यूएसएम खातेदार को प.न. 283/344 मु.न. 25 के कि.न. 16/1 के 0.057, 17/.175, 18/.193, 19/.193, 20/.193, 21/2 के.112, 22/2 के 0.228, 23/2 के 0.228, 24/2 के 0.209, 25/2 के 0.057कुल 1.645 है. कमाण्ड भूमि।

<u>**पहलवानसिंह पुत्र करनैल सिंह 0.029 है., कृष्णाबाई पत्नि गज्जन सिंह 0.014, सिकन्दर सिंह पुत्र गज्जन सिंह 0.014है कोम रायसिख सा. देह ,खातेदार, प.न. 283/344 मु.न. 25 के कि.न. 14/.019, 1[illegible] 24/.019 कुल 0.057है कमाण्ड भूमि।**</u> उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री जारी [illegible] किया जावे। पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.02 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ रायसिंहनगर ★

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ रायसिंहनगर ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.02 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

डिक्री व मुकदमेंइन्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर

बईजलास :सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस.)

प्र.सं. 121/2010
जीसीएमएस : 2010/69

1. कृष्णा बाई पत्नी श्री गज्जन सिंह जाति रायसिख निवासी 16पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर राज.।
2. कुलदीप कौर पुत्री श्री गज्जन सिंह जाति रायसिख निवासी 16पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर राज.।
3. बलजीतकौर पुत्री श्री गज्जन सिंह जाति रायसिख निवासी 16पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर राज.।
4. सिकन्द्र सिंह पुत्र श्री गज्जन सिंह जाति रायसिख निवासी 16पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर राज.।
5. वीरपाल कौर पुत्री श्री गज्जन सिंह जाति रायसिख निवासी 16पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर राज.।
6. सुखविन्द्र कौर पुत्री श्री गज्जन सिंह जाति रायसिख निवासी 16पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर राज.।
7. बलजीतसिंह पुत्र श्री गज्जन सिंह जाति रायसिख निवासी 16पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर राज.।

—:वादीगण

बनाम

1. वजीर सिहं पुत्र करनैल सिहं जाति रायसिख निवासी 16 पीटीडी बी तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर राज.।
2. पहलवान सिहं पुत्र करनैल सिहं जाति रायसिख निवासी 16 पीटीडी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर राज.।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

—:प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88– राज0 काश्त0 अधि0</u>

—: **निर्णय** :— दिनांक : 13.05.2025

वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि–वादी के श्री सुभाष चन्द **बिश्नोई अधिवक्ता , प्रतिवादीगण श्री बलदेव सिहं निवाढा व श्री रणवीर सिंह विश्नोई अधिवक्तागण की उपस्थिति में निम्नानुसार डिक्री दी जाती है कि** :– उक्त प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा दिनांक 23.04.2025 के द्वारा प्राप्त भूमि विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण का वाद–पत्र निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है कि:–
वादीगण कृष्णाबाई पत्नि गज्जन सिहं 1.166है., वीरपालकौर 0.295है. सुखविन्द्र कौर 0.295है. सिकन्दर सिहं 0.282है. पि. गज्जन सिहं कोम रायसिख सा. देह खातेदार को चक 16 पीटीडी बी के प.न. 283/344 मु.न. 25 कि.न. 5/1/0.202, 5/2/0.051, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 11/.249, 12/.250, 13/.249, 14/.231, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.054, 16/2/0.006, 17/0.059, 18/0.060, 19/0.060, 20/0.060 कुल 2.037 है. कमाण्ड मय खाला।
प्रतिवादी वजीर सिहं पुत्र करनेल सिहं के हिस्सा में :– चक 16 पीटीडी बी के प.न. 283/344 मु.न. 25 के कि.न. 16/1 के .117, 16/2 के .019, 21/2 के 0.115, 25/2 के 0.145है. 25/3 के .026 [illegible]
प्रतिवादी पहलवान सिहं पुत्र करनेल सिहं के हिस्सा [illegible] 16 पीटीडी बी के प.न. 283/344 मु.न. 25 के 1/1 मे .22[illegible] 0.228, 2/2 के 0.025 3/1में 0.228, 3/2 में 0.025, 4[illegible] 7 [illegible] 10/1.012, 11/.004, 12/.003, 13/.004, 14[illegible] भूमि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.02 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

मालोबाई पत्नि रूप सिहं कोम रायसिख सा. 1 बीडब्ल्यूएसएम खातेदार को प.न. 283/344 मु.न. 25 के कि.न. 16/1 के 0.057, 17/.175, 18/.193, 19/.193, 20/.193, 21/2 के.112, 22/2 के 0.228, 23/2 के 0.228, 24/2 के 0.209 25/2 के 0.057कुल 1.645 है. कमाण्ड भूमि।

पहलवानसिहं पुत्र करनैल सिहं 0.029 है., कृष्णाबाई पत्नि गज्जन सिहं 0.014, सिकन्दर सिहं पुत्र गज्जन सिहं 0.014है. कौम रायसिख सा. देह ,खातेदार, प.न. 283/344 मु.न. 25 के कि.न. 14/.019, 17/.019, 24/.019 कुल 0.057हैकमाण्ड भूमि। उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। रकबा रहन होने पर रहन मुक्त होने पर ही आदेश की पालना की जावें।

डिक्री आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

{[illegible]र.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक क[illegible] पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्पडयूटी	900/-	7.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		8.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प................ रूपयेपरप्लीडर की फीस		9.प्लीडर की फीस	
4.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		10.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	
5.कमिश्नर की फीस		11.आदेशिका की तामील	
6.आदेशिका की तामील		12.कमिश्नर की फीस	
जोड़	900/-	जोड़	

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.02 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner